संख्या-558/2025/003-CGG 2025

प्रेषक,

अन्नपूर्णा गर्ग,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के अन्तर्गत राजस्व लेखा के मानक मद-20 में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-।।।-47/voll.IX-CGG/781, दिनॉक 20.08.2025 द्वारा प्राविधानित सहायता अनुदान रू0 25.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त हेतु रू0 12.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति अतिशीघ्र जारी कराने के किये गये अनुरोध एवं एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 के प्रस्तर-2(6) में प्रावधानित दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-800-अन्य व्यय-04-सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख के सापेक्ष कार्मिक अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-342/2025/002-CGG 2025, दिनॉक 13 मई, 2025 द्वारा प्रथम छमाही किश्त के रूप में रू0 12.50 लाख की निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

I. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

II. स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेन्ट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो। जहॉ ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

III. उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एकमुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एवं सेन्टार फॉर गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को आहरण वितरण अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

IV. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

V. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए 934/दस-2008 मित-1/2007, दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VI. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/डाकखाने में जमा नही की जायेगी।

VII. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानानुसार किये जाने वाले व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम0-13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VIII. इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनॉक 27 मार्च, 2025 में निहित वित्तीय प्राविधानों/नियमों/निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

IX. इस संबंध में निर्गत मूल शासनादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

X. इस संबंध में निर्गत अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

XI. वित्तीय वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम किश्त की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

XII. प्रश्ननगत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जो मद सुसंगत नियमावली में अनुमन्य हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 019 लेखा शीर्षक 2070008000400 सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-5-73-X-2025-26-दिनांक 8-9-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(अन्नपूर्णा गर्ग)
विशेष सचिव।

संख्या-558(1)/2025/003-CGG 2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- सहायक समीक्षा अधिकारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अन्नपूर्णा गर्ग)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।